न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 39/2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
शिवराम पुत्र श्री मूलारामजी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुम्हारों का बास रणसीगांव तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव पटवार क्षेत्र रणसीगांव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रणसीगांव तहसील बिलाडा की सरहद में प्रार्थी क खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 1023 खसरा नंबर 448 रकबा 3.0257 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल व प्रथम, खसरा नंबर 448/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै. मु.ढाणी, खसरा नंबर 522 रकबा 2.7587 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, व खसरा नंबर 578 रकबा 5.0239 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, कुल खसरा 04 का कुल रकबा 10.8488 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा उपरोक्त खसरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में हलका पटवारी द्वारा सेव से शिवराम के नाम के स्थान पर प्रार्थी का नाम श्रीराम दर्ज किया गया है, उक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा स्थित है। प्रार्थी ने हल्का पटवारी द्वारा अपने उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि की जमाबंदी की पमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के उपरोक्त खसरा की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी व गिरदावरी में हलका पटवारी द्वारा सेव से भूलवश प्रार्थी का नाम शिवराम के स्थान पर श्रीराम दर्ज कर दिया गया है इस प्रकार प्रार्थी का नाम शिवराम के स्थान पर श्रीराम राजस्व रेकर्ड में सेव से भूलवश गलत इन्द्राज होने से कभी भी वाद–विवाद की स्थिती पैदा हो सकती है तथा प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज होने से प्रार्थी को लोन लेने भी काफी परेशानी होती है तथा सरकारी योजनाओं का भी प्रार्थी लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:09 IST
Reason: SelfAttested

वास्तविक नाम शिवराम होने बाबत अपना राशन कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आई.डी. कार्ड), आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, व सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रणसीगांव में भी प्रार्थी का नाम शिवराम दर्ज है। तथा प्रार्थी के उपरोक्त सभी दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम श्रीराम हटाकर शिवराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पेश किया जो जवाब इस आधार का पश किया कि प्रार्थी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता सं. 1023 के खसरा सं. 448,448/1,522,578 कुल खसरा 4 कुल रकबा 10.8488 में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार 1/3 दर्ज है। नामान्तकरण सं. 8 जरिये विरासत के मूलाराम के फोत होने पर भोला, सुखीया, श्रीराम पुत्र मूला कुम्हार दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि पेश कर अपना नाम शिवराम होना बताया है राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी अपना नाम श्रीराम के स्थान पर शिवराम करवाना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम रणसीगांव के खसरा सं. 448,448/1,522,578 कुल खसरा सं. 4 कुल रकबा 10.8488 में श्रीराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र मूलाराम किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ओर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी, आधारकार्ड, भामा"ााह कार्ड, राशनकार्ड, प्राथी के सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक बिलाड़ा की खाता पासबुक आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्राथी का नाम श्रीराम पुत्र मूलाराम दर्ज किया हुआ है। लेकिन अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम शिवराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रणसीगांव पटवार क्षेत्र रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 3.0257 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 448/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7587 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 5.0239 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार श्रीराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र मूलाराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 3.0257 हैक्टेयर, ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा खसरा नम्बर 448/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7587 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 5.0239 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार श्रीराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र मूलाराम दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदे"ा आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:09 IST
Reason: SelfAttested